18/11/24

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई।
प्रकरण निम्न प्रकार है -

प्रार्थी रामचन्द्र आत्मज दौगा निवासी ग्राम नान्दना द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि वादी तथा प्रतिवादी② तथा उनके भाई स्व. कन्हैयालाल जी की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. $\frac{938}{0.27}$, $\frac{939}{0.43}$ कुल किता 2 रकबा 0.70 Hct वाके ग्राम नान्दना में स्थित है। उपरोक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन सहमति से 1991 में करवाया गया तथा विभाजन के आधार पर ना.सं. 74 दिनांक 28.02.1991 को दर्ज किया गया। सहमति विभाजन के उपरान्त वादी तथा अन्य सह खातेदारान विभाजन के बाद से ही उपरोक्त अनुसार काबिज होकर उक्त आराजी का उपयोग.उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त सहमति विभाजन

उपखण्ड अधिकारी

में विभाजन का नक्शा माननीय
में सहवन से पेश नहीं हुआ और
ही दिशाओं का अंकन विभाजन में
हिस्से के सम्बन्ध में किया गया।
लेकिन प्रतिवादी क्रम ① द्वारा रिकार्ड को
आनलाइन करते समय वादी व प्रतिवादी ②
के कब्ज़ा काश्त व मौके पर कब्ज़ा काश्त
की स्थिति के विरुद्ध जाकर राजस्व नक्शे
में त्रुटि व विचलन कारित करते हुए वादी
के हिस्से वाली भूमि का नक्शा खसरा नं.
138 को बदलकर ख.नं. 1150/138 करके
हुये भूमि के मध्य में दर्शा दिया और
इसी प्रकार ख.नं. 139 में भी मौके पर
वादी के कब्ज़ा काश्त के विपरीत जाकर
भूमि के मध्य में वादी को प्राप्त हिस्सा
दर्शा दिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी ①
के अधिकारीयों व कर्मचारीयों द्वारा मौके
पर कब्ज़ा काश्त की स्थिति के विपरीत
जाकर राजस्व नक्शे में त्रुटि व विचलन
कारित किया गया है, जिसका उन्हें
कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा

उपखण्ड अधिकारी
को..

उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने का अभियुक्त है।
प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादी ① व ②
को तलब किया गया। प्रतिवादी क्रमांक ② के
बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
तहसील लाडपुरा का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ
जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार
लाडपुरा के जवाब अनुसार नामान्तरकरण
संख्या 75 में रामचन्द्र s/o दोगा व
रामदयाल s/o दोगा का हिस्सा दर्ज
रिकार्ड है, लेकिन दिशा का कोई अंकन
नहीं है। और ना ही नामान्तरकरण पर
सहमति बँटवारे का आदेश संलग्न है।
तहसील रिपोर्ट में प्रार्थी तथा
अप्रार्थी के विभाजन अनुसार खाते
की आराजी का वर्तमान खाता-न
रिकार्ड अनुसार (वर्तमान नक्शे के अनुसार).
नजरी नक्शा तथा मौके पर कब्जा
कास्त अनुसार नजरी नक्शा भी प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
को ।

किया है, जो निम्नानुसार है -

वर्तमान नक्शे के अनुसार नजरी नक्शा

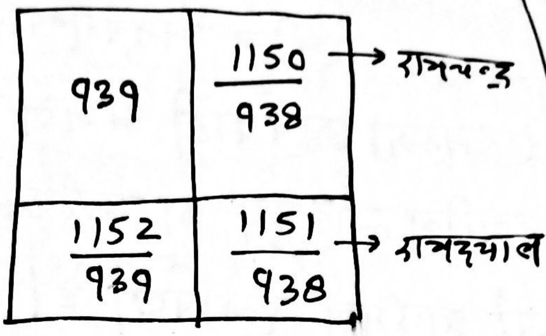

मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शा -

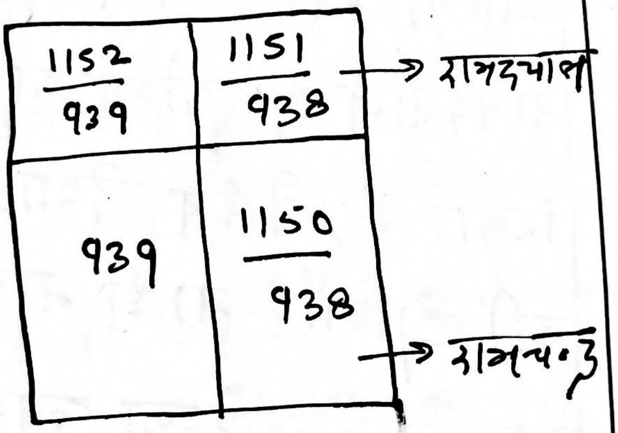

अभिभावक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभावक प्रार्थी का कथन है कि हांलाकि सहमति विभाजन के नामान्तरकरण में दिशा अंकित नहीं है, लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी 1991 से ही उक्त विभाजन अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी द्वारा उक्त विभाजन पर आज तक कोई उज्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी (2)
बावजूद सूचना हस्तगत प्रकरण में भी
अपना उज्र प्रस्तुत करने इस न्यायालय में
उपस्थित नहीं हुआ है. अतः 1991 में
सहमति विभाजन उपरान्त मौके पर
कब्जा कास्त के विरुद्ध जाकर तरमीम
करने का तहसीलदार लाडपुरा को कोई
अधिकार नहीं था। अतः तहसीलदार
लाडपुरा द्वारा कारित त्रुटि को दुरुस्त
किया जावे।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व
तहसील रिपोर्ट का आद्योपान्त अध्ययन
किया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस
पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया। संलग्न
नामान्तरकरण संख्या 75 से स्पष्ट होता
है कि सहमति विभाजन के आधार
पर उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया
गया था तथा उक्त नामान्तरकरण में
केवल खसरा अनुसार हिस्सों का
उल्लेख किया गया है लेकिन दिशाओं

उपखण्ड अधिकारी

का उल्लेख नहीं किया गया है।
परिस्थितियों में अभिभाषक का
यह कथन न्यायोचित प्रतीत होता है
कि सहमति विभाजन के आधार पर
कब्जे काश्त के आधार पर ही तरमीम
की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई है।
तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जो तरमीम की
गई है, उसका कोई विधिक आधार
नहीं है।

हमारे विनम्र मत में 1991 में विभाजन
उपरान्त, यदि विभाजन पत्र में हिस्सा
अंकित नहीं थी, तो तथा किसी भी खातेदार
द्वारा कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया गया था
तो सेग्रीगेशन के समय मौके पर कब्जे
अनुसार ही तरमीम की जानी चाहिए
थी। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मौके पर
कब्जे के विपरीत जाकर की गई तरमीम
निरस्त योग्य है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार कर सेग्रीगेशन के समय की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खानपुरा को आदेशित किया जाता है कि खसरा नं. 938 व 939 में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम ② के मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार खानपुरा को पालना हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

18/11/24.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ सांगोद